संख्या-03/2016/35/45वि/2026(1919166)

प्रेषक,

रमेश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद की स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी.एस.टी./डी-2193, दिनांक 01.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-70 के अधीन मुख्य लेखा शीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-03-राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में कुल प्राविधानित आय-व्ययक रूपये 5000.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त रूपये 1250.00 लाख (रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों :-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार अनुदान के आहरण बिल को अनु सचिव/विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
3. प्रश्नगत स्वीकृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तर दायित्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 का होगा।
4. अवमुक्त धनराशि का सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में व्यय विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1250.00 लाख (रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के मुख्य लेखा शीर्षक 3425-60-200-03-00 राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-7-156-X-2025-26, दिनांक 04.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज/लखनऊ।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(7) राज्य योजना आयोग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार गौतम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।